न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :—01 / 118 / 2021 ऑनलाईन नम्बर—2021 / 308 प्रवेश तिथि—01 / 10 / 2021

1. रूपवती पत्नी श्री गिर्राज सिंह जाति बन्जारा आयु करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम साबोला का बांध तन थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर। ....वादीगण

बनाम

1. अंगूरी देवी पत्नी करतार सिंह जाति बन्जारा आयु करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम साबोला का बांध तन थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. कमलेश पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 38 वर्ष।
3. पारा देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 75 वर्ष।
4. रामलाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 60 वर्ष।
5. शिम्भूदयाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 55 वर्ष।
6. खैराती लाल पुत्र सोन्या जाति मीना ।
7. नवल पुत्र सुखपाल जाति मीना।
8. पप्पी देव पत्नी महेश मीना।
9. भम्बूराम पुत्र बोदन जाति मीना आयु करीब 60 वर्ष।
10. मोहनलाल पुत्र रामपाल जाति मीना आयु करीब 65 वर्ष।
11. राजन्ती पत्नी मोहनलाल जाति मीना आयु करीब 60 वर्ष।
12. लाली देवी पत्नी कालूराम जाति मीना आयु करीब 55 वर्ष।
13. सुशीला देवी पुत्री जुगलाराम जाति मीना आयु करीब 40 वर्ष समस्त निवासीयान ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर।
14. उप पंजीयक महोदय राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर।
15. राजस्थान सरकारर जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अ0 1955

उपस्थितः— :1. श्री अशोक कुमार शर्मा एड0—वादी
2. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

—:निर्णयः—

दिनांक 18.12.2024

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 906 / 0.40, 907 / 0.12, 909 / 0.28, 910 / 0.28, 916 / 0.37, 917 / 0.40, 918 / 0.60, कुल किता 7 कुल रकबा 2.45 है0 वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी 1/8 हिस्स व प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी शामलाती की आराजी है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी अपने—अपने हिस्से पर खातेदार काश्तकार है। हिस्से के काबिज रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी को लेकर आपस में काश्त को लेकर मुताबिक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है और यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक—पृथक किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण पैरोकार असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 बाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनक विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी की ओर से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने पर सहमति दी गई। हस्ब सहमति वकल वादी पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं TDR राजगढ से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गयी।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

3. प्रकरण में तहसीलदार राजगढ के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 4483 दिनांक 06.10.2023 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील वादी द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट पर दावा डिक्री करने पर सहमति जाहिर की।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2072–75 वाके वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार द्वारा समस्त खातेदारान को नोटिस दिया जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है। रिपोर्ट अनुसार समस्त खातेदारान में मुताबिक जमाबंदी हिस्सा बटॅवारा किया है तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट से वकील वादी भी सन्तुष्ट है। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट हस्ब सहमति वकील वादी के हस्ताक्षर आदेशिका पर कराए गए। दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण विन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण में वाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। वाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते नें दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोपित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार हैं। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में वाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड नें किया जावेगा। वाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते नें दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोपित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में वाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड नें किया जावेगा। वाद तकसीम हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते नें दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह–काश्तकार वाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बावत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा नम्बर 906/0.40, 907/0.12, 909/0.28, 910/0.28, 916/0.37, 917/0.40, 918/0.60, कुल किता 7 कुल रकबा 2.45 है0 वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	रूपवती पत्नी गिर्राज सिंह जाति बंजारा	918	0.30
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.30
2	अंगूरी देवी पत्नी करतारसिंह जाति बंजारा।	918 / 1	0.30
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.30
3	1. रामलाल, शिम्भूदयाल, पुत्रान कन्हैयालाल, 2. पारा पत्नी कन्हैयालाल 3. कमलेश पुत्री कन्हैयालाल 4. खैरातीलाल पुत्र सोन्या, 5. नवल पुत्र सुखपाल 6. पप्पी देवी पत्नी महेश कुमार। 7. भम्बूराम पुत्र बोदन। 8. मोहनलाल पुत्र रामपाल। 9. राजन्ती पत्नी मोहनलाल। 10. लाली पत्नी कालूराम। 11. सुशीला पुत्री जुगलाराम जाति मीना	906 907 909 910 916 917	0.40 0.12 0.28 0.28 0.37 0.40
		कुल किता 6	कुल रकबा 1.57

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 06.10.2023 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

रूपवती बनाम अंगूरी
मुकदमा संख्या:—01 / 118 / 2021
निर्णय तिथि—18.12.2024

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)

वाद संख्या :—01 / 118 / 2021 ऑनलाईन नम्बर—2021 / 308 प्रवेश तिथि—01 / 10 / 2021

1. रूपवती पत्नी श्री गिर्राज सिंह जाति बन्जारा आयु करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सावोला का बांध तन थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर। ....वादीगण

बनाम

1. अंगूरी देवी पत्नी करतार सिंह जाति बन्जारा आयु करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम सावोला का बांध तन थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. कमलेश पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 38 वर्ष।
3. पारा देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 75 वर्ष।
4. रामलाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 60 वर्ष।
5. शिम्भूदयाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीना आयु करीब 55 वर्ष।
6. खैराती लाल पुत्र सोन्या जाति मीना ।
7. नवल पुत्र सुखपाल जाति मीना।
8. पप्पी देव पत्नी महेश मीना।
9. भम्बूराम पुत्र बोदन जाति मीना आयु करीब 60 वर्ष।
10. मोहनलाल पुत्र रामपाल जाति मीना आयु करीब 65 वर्ष।
11. राजन्ती पत्नी मोहनलाल जाति मीना आयु करीब 60 वर्ष।
12. लाली देवी पत्नी कालूराम जाति मीना आयु करीब 55 वर्ष।
13. सुशीला देवी पुत्री जुगलाराम जाति मीना आयु करीब 40 वर्ष समस्त निवासीयान ग्राम थानराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर।
14. उप पंजीयक महोदय राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर।
15. राजस्थान सरकारर जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अ0 1955

उपस्थितः— 1. श्री अशोक कुमार शर्मा एड0—वादी
2. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर सत्यमेव जयते

—:पर्चा डिक्रीः— दिनांक 18.12.2024

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा नम्बर 906 / 0.40, 907 / 0.12, 909 / 0.28, 910 / 0.28, 916 / 0.37, 917 / 0.40, 918 / 0.60, कुल किता 7 कुल रकबा 2.45 है0 वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है—

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	रूपवती पत्नी गिर्राज सिंह जाति बंजारा	918	0.30
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.30
2	अंगूरी देवी पत्नी करतारसिंह जाति वंजारा।	918 / 1	0.30
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.30
3	1. रामलाल, शिम्भूदयाल, पुत्रान कन्हैयालाल, 2. पारा पत्नी कन्हैयालाल 3. कमलेश पुत्री कन्हैयालाल 4. खैरातीलाल पुत्र सोन्या, 5. नवल पुत्र सुखपाल 6. पप्पी देवी पत्नी महेश कुमार। 7. भम्बूराम पुत्र बोदन। 8. मोहनलाल पुत्र रामपाल। 9. राजन्ती पत्नी मोहनलाल। 10. लाली पत्नी कालूराम। 11. सुशीला पुत्री जुगलाराम जाति मीना	906 907 909 910 916 917	0.40 0.12 0.28 0.28 0.37 0.40
		कुल किता 6	कुल रकबा 1.57 (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला—अलवर

रूपवती बनाम अंगूरी
मुकदमा संख्या:—01 / 118 / 2021
निर्णय तिथि—18.12.2024

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 06.10.2023 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार राजगढ़ को आदेश दिये जाते है कि इसीस अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक **18.12.2024** को तैयार की गई।

SSa
(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला - अलवर (राज.)
सत्यमेव जयते